



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 29 अप्रैल, 2000

बैशाख 9, 1922 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1168/सदक-वि०-1-1 (क)-11-1999

लखनऊ, 29 अप्रैल, 2000

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्राप्त सड़क-पार्श्व-भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

(85)

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या
10 सन् 1945
की धारा 5 का
अतिस्थापन

2—संयुक्त प्रान्त सड़क-पार्श्व-भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“5—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

किसी नियंत्रित क्षेत्र में भवन का निर्माण या पुनः परिनिर्माण या कोई उत्खनन या उसका विस्तार नहीं करेगा; और

(ख) कोई भी व्यक्ति कलक्टर की लिखित पूर्ण अनुज्ञा के बिना, किसी नियंत्रित क्षेत्र में, सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन का अभिन्यास नहीं करेगा।”

धारा 6 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द “भवन, उत्खनन या” निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) और (5) निकाल दी जायेंगी।

(ग) उपधारा (6) में, शब्द “कलक्टर द्वारा कोई लिखित आदेश न दिया गया हो”, के पश्चात् शब्द “प्रावेदक कलक्टर को लिखित नोटिस दे सकता है और यदि ऐसी नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कोई आदेश न दिया जाय” बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 8 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्न लिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

“(1) उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी क्षति, नुकसान या हानि के लिए जो—

(क) धारा 5 के खण्ड (क) द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन के परिणाम-स्वरूप, या

(ख) किसी सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन का अभिन्यास करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले या ऐसी अनुज्ञा अनुवृत्त कर देने किन्तु उसके साथ शर्तें अधिरोपित करने वाले किसी आदेश द्वारा,

हुई हो या हुई अभिकथित हो, इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले में, नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष के भीतर;

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 7 के अधीन राज्य सरकार के आदेश के दिनांक से, जहां किसी सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन का अभिन्यास करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने का आदेश दिया गया हो और धारा 7 के अधीन अपील के अधिकार का प्रयोग किया गया हो, तीन मास के भीतर,

राज्य सरकार को इस आधार पर प्रतिकर का दावा प्रस्तुत कर सकता है कि सम्बन्धित भूमि में उसके हित पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ा है।”

5—मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में,—

धारा 10 का
संशोधन

(क) खण्ड (ख) में, शब्द “किसी भूमि पर भवन के परिनिर्माण अथवा पुनः परिनिर्माण” के स्थान पर शब्द “भूमि या धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन अधिरोपित किये गये निर्बन्धनों के सम्बन्ध में किसी सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन के अभिन्यास” रख दिये जायेंगे और शब्द “वह क्षेत्र जिसमें उक्त भूमि स्थित हो” के स्थान पर शब्द “सम्बन्धित क्षेत्र” रख दिए जायेंगे।

13 (ब) खण्ड (1) में, शब्द "भूमि के विकास की वे प्रत्यारनायें जो धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के दिनांक को तुरन्त व्यवहार्य हैं या उस दशा में तुरन्त व्यवहार्य होती जब यह अधिनियम पारित न किया गया होता, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित निर्बंधनों से निवारित हुई है या अतिकारक रूप से प्रभावित हुई है" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित निर्बंधनों से सम्बन्धित भूमि में उसका हित अतिकारक रूप से प्रभावित हुआ है" रख दिये जायेंगे।

6--मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में,--

(क) शब्द "वह ज़माने से जो पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "वह ज़माने से जो प्रथम दोषसिद्धि पर, पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "पचास रुपये तक" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" जो अधिकतम "पचास हजार रुपये तक" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की अनुसूची में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर जिसे अनुसूची के पैरा 3 के उप पैरा (2) द्वारा परिष्कृत किये जाने की आवश्यकता पड़ी निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(ग) संयुक्त प्रान्त सहक-पार्श्व-भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 की धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी परिनिर्माण, पुनः परिनिर्माण या परिवर्द्धन या परिवर्द्धन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में हुई वृद्धि का ध्यान नहीं रखा जायगा;"

अनुसूची का संशोधन

8--(1) कोई आवेदन-पत्र की जो मूल अधिनियम की धारा 6 के अधीन दिया गया हो और कोई अपील की जो मूल अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रस्तुत की गयी हो; जैसी ये धाराएं इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थीं और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को सम्बन्धित हो, सुनवाई और विनिश्चय उसी प्रकार किया जायगा मानो यह अधिनियम कभी अधिनियमित ही न किया गया हो।

(2) मूल अधिनियम की धारा 6 या धारा 7 के अधीन, जैसी ये धाराएं इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थीं, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त कोई अनुज्ञा और उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुदत्त कोई अनुज्ञा उसी प्रकार विधिमाय्य और प्रभावो होगी मानो यह अधिनियम कभी अधिनियमित ही न किया गया हो।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

साक्षात् से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1168 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-11-1999
Dated Lucknow, April 29, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sajak Parshaya Bhumi Niyantana (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 25, 2000.

THE UTTAR PRADESH ROADSIDE LAND CONTROL
(AMENDMENT) ACT, 1999
(U. P. ACT NO. 15 OF 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the United Provinces Roadside Land Control Act, 1945.
IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:--

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Roadside Land Control (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Short title and commencement

Substitution of section 5 of U.P. Act no. 10 of 1945

2. For section 5 of the United Provinces Roadside Land Control Act, 1945, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“5—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,—

Restriction on buildings etc. in a controlled area

(a) no person shall erect or re-erect any building, or make or extend any excavation in a controlled area; and

(b) no person shall except with the previous permission of the Collector in writing, lay out any means of access to a road in a controlled area.”

Amendment of section 6

3. In section 6 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) the words “building, excavation, or” shall be omitted;

(b) sub-sections (4) and (5) shall be omitted;

(c) In sub-section (6) after the words “no order in writing has been passed by the Collector” the words “the applicant may give a notice in writing to the Collector and if no order is passed within thirty days from the date of receipts of such notice” shall be inserted.

Amendment of section 8

4. In section 8 of the principal Act, for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(1) Except as provided in sub-section (2), no person shall be entitled to claim compensation under this or any other Act, for any injury, damage or loss caused or alleged to have been caused,—

(a) as a result of the restriction imposed by clause (a) of section 5, or

(b) by an order refusing permission to lay out a means of access to a road or granting such permission but imposing conditions on the grant.

(2) Any person may make to the State Government a claim for compensation on the ground that his interest in any land is injuriously affected,—

(a) in a case referred to in clause (a) of sub-section (1), within one year from the date of declaration of the controlled area;

(b) in a case referred to in clause (b) of sub-section (1) within three months from the date of the order of the State Government under section 7 where an order refusing permission to lay out any means of access to a road has been made and the right of appeal under section 7 has been exercised.

Amendment of section 10

5. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (b), for the words “erect or re-erect a building thereon” the words “lay out any means of access to a road in respect of the land, or the restriction imposed under clause (a) of section 5” shall be substituted; and for the words “in which it is situated” the word “concerned” shall be substituted.

(b) in clause (i) for the words “proposals for the development of the land which at the date of the application under sub-section (1) of section 6 are immediately practicable, or would have been so, if this Act had not been passed are prevented or”, the words “his interest in the land concerned is” shall be substituted.

Amendment of section 13

6. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b),—

(a) for the words “which may extend” the words “which, on first conviction, may extend” shall be substituted;

(b) for the words “fifty rupees for every day” the words “five hundred rupees for every day subject to a maximum of fifty thousand rupees” shall be substituted.

7. In the Schedule to the principal Act, for clause (c) of sub-section (3) of section 23 of the Land Acquisition Act, 1894 sought to be modified by sub-paragraph (2) of paragraph 3 of the Schedule the following clause shall be substituted, namely :—

Amendment of the Schedule

“(c) any increase in the market value resulting from any erection re-erection, addition or alteration in contravention of the provisions of section 5 of the United Provinces Roadside Land Control Act, 1945 shall be disregarded;”

8. (1) Any application made under section 6 of the principal Act and any appeal preferred under section 7 of the principal Act, as those sections stood immediately before the commencement of this Act, and pending on the date of such commencement shall be heard and decided as if this Act had never been enacted.

Transitory provisions

(2) Any permission under section 6 or section 7 of the principal Act as those sections stood immediately before the commencement of this Act, granted before such commencement, and any permission granted and accordance with this provisions of sub-section (1), shall be valid and effective as if this Act had never been enacted.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.